

पत्र आवेसानुसार विना

26/9/24

पत्रावली पेश हुई। पञ्चसाल कृषिकेन्द्र उपस्थिति, पीठसिमा
अधिकारी जय शर्मा ने जांच हेतु पत्र पार है। पत्रावली
गत आवेसानुसार विना 21/12/24 को पेश की।

21/12/24

पत्रावली पेश हुई। पञ्चसाल कृषिकेन्द्र उपस्थिति, पीठसिमा
अधिकारी जय शर्मा ने जांच हेतु पत्र पार है। पत्रावली
गत आवेसानुसार विना 6/1/25 को पेश की।

6/2/25

पत्रावली पेश हुई। पञ्चसाल कृषिकेन्द्र उपस्थिति, पीठसिमा
अधिकारी जय शर्मा ने जांच हेतु पत्र पार है। पत्रावली
गत आवेसानुसार विना 16/4/25 को पेश की।

16/4/25 पत्रावली पेश हुई। फकील रामचन्द्र
उपस्थित। वट्स बुझी गयी पत्रावली
का ध्यानपूर्वक जांच किया गया
वट्स अंतिम बुझी गयी। हाताधीन
की जोर से लिखित वट्स पेश कीये
बुझा गया। पत्रावली में नकल जमाकी
2018 से 2018 के खाता संख्या 195
के ख.नं. 195/144 ख.बा 0.85 हेक्टर
व खाता सं. 57 के ख.नं 196/144 ख.बा
0.04 हेक्टर व खाता सं. 88 के ख.नं
448/2 ख.बा 1.68 हे. का सामीया
सामना पत्र पार वर्जित तभी तत्राक
सामना पत्र का ध्यानपूर्वक जांच




तारीख
हुवन

हुवन या कार्यवाही मय इतिशियलता जज

रोशनी V/S राजन देवी

किताबताना भगन किताबताना हुवा पाके
 ग्राम चार्जिनगर पाद वर्गित भूमी
 सं. नं. 195/144 रकबा 0.85 है. सं. नं.
 196/144 रकबा 0.04 है. सं. नं. 443/2
 रकबा 1.68 है. को घोषणात्मक व
 रजिस्ट्रार सिपेचारा का सिपारट हो-ब्रिक
 तकरण में दाखी फोर्ड सिपेचर
 पर निस्ताशन किया जाता सम्बन्धित
 नहीं होता है। तकरण का निर्यादन
 सिपारट साक्ष्य व रिफाई के आधार
 पर ही करना सम्बन्धित योजना-द्वारा
 पाद वर्गित भूमी जादेवा किनांक
 24/8/2022 को ग्राम चार्जिनगर में
 रजि. दान, पेशान व हस्तांतरित नहीं
 करने हेतु रजिस्ट्रार सिपेचारा हेतु पाके
 किया गया। पत्रावली तापेशल अगार
 नम्बर से कम होकर काबिल दफतर
 है। पाद संख्या 220/2022 रोशनी
 देवी V/S राजन देवी काफे के साथ
 संलग्न रहे। सिपेचर आज किनांक 6/4/25
 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 उपखण्ड अधिकारी हुडमा
 जिला हुडमा (राज.)